माननीय श्री जी .सी .मितल और एस .एस .सोढ़ी न्यायमूर्ति , केसमक्ष

अमृत सिंह, अपीलकर्ता,

बनाम

हरियाणा राज्य-प्रतिवादी।

1987की आपराधिक अपील संख्या-513 डीबी।

27सितंबर, .1989

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम 18 धारा ,1950 और50 —केवल पुलिस अधिकारियों से गवाह के रूप में पूछताछ की गयी—किसी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की गयी—पुष्टि का अभाव—प्रभाव—राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी नहीं की गयी—धारा 50 का दायरा।

यह निर्धरित किया कि, कानून, निश्चित रूप से, अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी गवाह की गवाही पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए या केवल इसलिए संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि वह एक पुलिस अधिकारी है, लेकिन साथ ही, यह एक बहुत अच्छी बात है - स्वतंत्र गवाहों द्वारा ऐसे गवाहों की गवाही की पुष्टि की तलाश के लिए न्यायालयों द्वारा अपनाए गए सावधानी के मान्यता प्राप्त नियम, विशेष रूप से, जब समय, स्थान और परिस्थितियाँ ऐसी हों कि स्वतंत्र गवाह आसानी से उपलब्ध हों।

पैरा11

निर्धारित किया कि धारा 50 को पढ़ने से पता चलता है कि यदि किसी व्यक्ति की तलाशी ली जानी है तो उसे राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होगा और फिर उसकी उपस्थिति में तलाशी लेनी होगी। अधिनियम की धारा 50 के प्रावधान अनिवार्य हैं। अधिनियम की धारा 50 द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों के अंतर्निहित स्पष्ट विधायी इरादे को अर्थ और सामग्री देना। यह स्थापित करने के लिए कि जिस व्यक्ति की तलाशी ली जानी है उसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेने के उसके अधिकार के बारे में सूचित किया गया था, लेकिन उसने यह प्रस्ताव इनकार करने का फैसला किया, ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य और न केवल एक पुलिस अधिकारी का

बयान, रिकॉर्ड पर लाया जाना चाहिए।

(16 ,15 ,14 पैरा)

श्री सुरेश चंद जैन, अतिरिक्त .सत्र न्यायाधीश .करनाल के 19तारीख 1987अक्टूबर के आदेश से विरुद्ध अपील जिसमे अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और सजा सुनाइ गयी।

आरोप :स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985की धारा 18 के तहत।

सजा 14 :साल के लिए सश्रम कारावास और 1,00, 000रुपये का जुर्माना या जुर्माना भुगतने में विफल रहने पर एक वर्ष के लिए अतिरिक्त सश्रम कारावास

विविध 1987 .का सेशन केस नंबर31 , 1987का सेशन ट्रायल नंबर 61 एफ.आई.आर . क्रमांक230 , दिनांक 1 मार्च .1986 पुलिस थाना: .—शहर पानीपत, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 18 के तहत।.1985

अपीलकर्ता की ओर से आर.एस .चीमा, अधिवक्ता और सरतेज सिंह, अधिवक्ता।

राम अवतार सिंह, अपर .प्रतिवादी की ओर से ए.जी., हरियाणा।

<u>निर्णय</u>

ममनीय एस.एस .सोढ़ी, न्यायमूर्ति

(1)यहां अपील में चुनौती अपीलकर्ता -उत्तर प्रदेश पुलिस के उप-निरीक्षक अमृत सिंह को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट,) 1985इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित (की धारा 18 के तहत 4 किलोग्राम अफ़ीम के कब्जे में होने के कारण दोषी ठहराए जाने को लेकर है।

(2)अभियोजन पक्ष के अनुसार शाम लगभग 5 बजे 1 मार्च 1986 को, जब सब-इंस्पेक्टर नरपत सिंह और जोगिंदर सिंह अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ पानीपत बस-स्टैफ्ट के पास गश्त पर थे, तो उन्होंने अपीलकर्ता-सब-इंस्पेक्टर अमृत सिंह को बस-स्टैंड के दक्षिण गेट की दिशा से एक ब्रीफ-केस ले जाते हुए देखा। पुलिस पार्टी को देखकर वह पीछे हट गया, जिस पर संदेह हुआ और पुलिस पार्टी ने उसे गेट के पास काबू कर लिया। उसी समय धनसौली गांव का अमर सिंह लंबरदार भी वहां आया हुआ था .ब्रीफकेस की तलाशी लेने पर चार किलोग्राम अफीम बरामद हुई।

वर्तमान मामला अपीलकर्ता अमृत सिंह की गिरफ्तारी और तलाशी और उससे उक्त चार किलोग्राम अफ़ीम .की बरामदगी के संबंध में उप-निरीक्षक जोगिंदर सिंह की रिपोर्ट पर पुलिस स्टेशन 'सिटी' पानीपत में दर्ज किया गया था। उस पर दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट एक्स पीसी 1/है।

अभियोजन का मामला पी.डब्ल्यू 1-उप-निरीक्षक नरपत सिंह और पी.डब्ल्यू 2.उप-निरीक्षक जोगिंदर सिंह की गवाही पर आधारित है। इन दोनों गवाहों ने समान रूप से गवाही दी, कि उन्होंने अपीलकर्ता को बस-स्टैंड के अंदर से हाथ में एक ब्रीफ-केस एक्स पी/एल पकड़े हुए आते देखा। पुलिस पार्टी को देखकर उसने अपने कदम पीछे करने की कोशिश की जिस

पर उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने उसे पकड़ लिया। बस-स्टैंड पर मौजूद अमर सिंह लंबरदार भी उनके साथ शामिल हो गए। सब-इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह ने खुद को तलाशी के लिए पेश करने के बाद अमृत सिंह को सूचित किया कि यदि वह चाहें तो उनकी तलाशी एक राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में की जाएगी। हालाँकि, अमृत सिंह ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और इसके बाद उसकी खोज की गई। अपीलकर्ता जो ब्रीफकेस प्रदर्शनी पी/एल ले जा रहा था, उसमें मोम पेपर में लिपटी चार किलोग्राम अफीम बरामद की गई थी। इसके पास से बरामद की गई अफीम में से इसके बाद 25 ग्राम का एक नमूना लिया गया और अफीम को सील कर दिया गया।

(5)जब आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973की धारा 313 के तहत जांच की गई, तो अमृत सिंह ने अभियोजन मामले से इनकार कर दिया और खुद को निर्दोष बताया। उनके द्वारा विशेष रूप से कहा गया था कि अपनी गिरफ्तारी के समय, उन्होंने पुलिस दल से एक राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में अपनी तलाशी लेने के लिए कहा था, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया।

(6)इसके अलावा, अपीलकर्ता अमृत सिंह द्वारा यह कहा गया था कि वह 28 फरवरी 1986 को हरि कृष्ण और रतन लाई से मिलने के लिए सनौली गांव गए थे, जिनके परिवार में उनके दोस्त के बेटे की शादी हुई थी। पति-पत्नी के बीच मतभेद थे और वह इन मतभेदों को दूर करने के लिए वहां गया था। हालाँकि, वे उसके प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए और तब उन्होंने उनसे कहा कि यदि वे अपनी बेटी को दूल्हे के घर नहीं भेजेंगे तो इसका कोई अच्छा परिणाम नहीं होगा। इसके बाद वह आगरा जाने के लिए पानीपत आये और लगभग 10 बजे सुबह जब वह पानीपत बस स्टैंड पर था। इंस्पेक्टर सोवरन सिंह ने उसे पकड़ लिया और कार में बैठाकर अपराध शाखा करनाल ले गये। जहां उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया था.

बचाव में चार गवाहों से पूछताछ की गई। ध्यान देने योग्य गवाही डी.वी 1-भाले राम मोहर्रिर हेड-कांस्टेबल, पुलिस स्टेशन 'सिटी', पानीपत की है। जिसने गवाही दी कि वर्तमान मामले का केस 17 मार्च 1988 को अभियोजक अपराध शाखा (सीआईए)स्टाफ करनाल से उसके पास आया था। जबकि डी.डब्ल्यू 4 .हुकम सिंह ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे

डेढ़ साल पहले, वह पुलिस थाने 'सदर' पानीपत के गेट के बाहर खड़ा था, जब उसने अमृत सिंह और इंस्पेक्टर सोवरन सिंह के बीच कुछ शोर सुना। यह शोर सुनकर वह वहां गया तो देखा कि अमृत सिंह खुद को पुलिस इंस्पेक्टर बता रहा है और पूछ रहा है कि उसे क्यों परेशान किया जा रहा है। इसके बाद अपीलकर्ता को एक कार में ले जाया गया और जब उसने इंस्पेक्टर सोवरन सिंह से पूछताछ की; उन्हें बताया गया कि अपीलकर्ता से केवल पूछताछ की जानी है। इसके बाद कार को करनाल की ओर ले जाया गया। इस घटना के लगभग 2 से 3 महीने बाद अमृत सिंह उनसे पानीपत की अदालत परिसर में मिले और पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि उन्हें किसी अफ़ीम के मामले में झूठा फंसाया गया था, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया गया था कि उनके पास कितनी अफ़ीम थी। फिर उसने अपीलकर्ता को अपना नाम बताया और उसके द्वारा देखे गए सच्चे तथ्यों के बारे में उसके पक्ष में गवाही देने का वचन दिया।

8विद्वान ट्रायल न्यायाधीश ने, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता को अधिनियम की धारा 18 के तहत दोषी ठहराया और उसे 14 साल के कठोर कारावास और1 ,00, 000रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

(9अधिनियम द्वारा निर्धारित कठोर न्यूनतम सजा, अर्थात्; दस वर्ष *का कठोर कारावास और1 ,00, 000रु .का जुर्माना के कारण इस अधिनियम के तहत अपराध करने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ अपना मामला स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए सबूतों को उचित देखभाल और सावधानी के साथ तौलना अदालत के लिए अनिवार्य हो गया है।

(10यह देखा जाएगा कि अपीलकर्ता अमृत सिंह की गिरफ्तारी, तलाशी और अफीम की बरामदगी के दोनों गवाह पुलिस अधिकारी हैं। प्रासंगिक समय पर उनके द्वारा जुड़े एकमात्र स्वतंत्र गवाह की जांच नहीं की गई थी। उसे जीत लिया गया मानकर छोड़ दिया गया। यह भी ध्यान रखना उचित होगा कि इस गवाह अमर सिंह लंबरदार की उपस्थिति, प्रथम दृष्टया, वहाँ एक आकस्मिक यात्रा थी। वह गांव धनसौली का रहने वाला है।

11(बेशक, कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी गवाह की गवाही पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए या उसे केवल इसलिए संदेह की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि वह एक पुलिस अधिकारी है, लेकिन, साथ ही, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। स्वतंत्र गवाहों द्वारा ऐसे गवाहों की गवाही की पुष्टि की तलाश करने के लिए अदालतों द्वारा अपनाए गए सावधानी के सुप्रसिद्ध नियम, विशेष रूप से, जब समय, स्थान और परिस्थितियाँ ऐसी हों कि स्वतंत्र गवाह आसानी से उपलब्ध हों। वर्तमान मामले में, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ता की गिरफ्तारी और तलाशी का स्थान बस-स्टैंड था। माना कि उस वक्त वहां काफी संख्या में लोग मौजूद थे। और तो और, पास में ही एक चुंगी चौकी भी थी। इलाके के किसी भी ऐसे व्यक्ति को जोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया गया जिसकी उस समय वहां उपस्थिति स्वाभाविक और संभावित कही जा सके।

(12) इस मामले की दूसरी दिलचस्प बात यह है कि बरामद अफ़ीम को सी.आई.ए .ले जाया गया। स्टाफ़ करनाल, न कि पुलिस स्टेशन 'सिटी*पानीपत, जो बरामदगी के स्थान से केवल बीओ गज की दूरी पर था। इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है। यहां, अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (3) के प्रावधानों के संदर्भ से पता चलता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति और जब्त किए गए सामान दोनों को निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को भेजना आवश्यक है। यह स्पष्ट रूप से कानून के इस प्रावधान की स्पष्ट अवहेलना थी कि अपीलकर्ता और बरामद अफीम दोनों को सी.आई.ए .में ले जाया गया। स्टाफ करनाल की बजाय पुलिस स्टेशन 'सिटी' पानीपत। डी.डब्ल्यू 1-.मोहर्रिर हेड कांस्टेबल भाले राम की गवाही के अनुसार 17 मार्च 1986 को ही यह अफ़ीम इस पुलिस स्टेशन में जमा की गई थी।

मामले के इस पहलू पर विचार करते समय, हेड कांस्टेबल राम भज के हलफनामे का संदर्भ अवश्य देखा जाना चाहिए

एक्ज़िबिट पीएफ 1/दिलचस्प अध्ययन करता है, इसमें जो कुछ भी उल्लेख है वह 25 ग्राम अफ़ीम के एक नमूने को जमा करने के संबंध में है। 17 मार्च, 1986को पुलिस स्टेशन 'सिटी' पानीपत में इसकी जमा राशि को छोड़कर, उस समय अपीलकर्ता से बरामद की गई

अफीम की शेष मात्रा के संबंध में रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री चुप है।

(14)हालाँकि, अभियोजन मामले में सबसे स्पष्ट और गंभीर दोष, अधिनियम की धारा 50के प्रावधानों के संदर्भ में, अपीलकर्ता -अमृत सिंह की तलाशी के तरीके के संबंध में है। इसे पढ़ने से पता चलता है कि यदि किसी व्यक्ति की तलाशी ली जानी है तो उसे किसी राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होगा और फिर उसकी उपस्थिति में तलाशी लेनी होगी। दोनों P.W-1, उप-निरीक्षक नरपत सिंह और F'.W.-2उप-निरीक्षक जोगिंदर सिंह के अनुसार, अपीलकर्ता को ऐसा विकल्प दिया गया था, लेकिन उसके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। दूसरे शब्दों में, अधिनियम की धारा 50 द्वारा प्रदान किए गए इस सुरक्षा उपाय को अपीलकर्ता द्वारा माफ कर दिया गया है और हमें केवल यह साबित करना है कि यह दो पुलिस अधिकारियों के शब्द हैं।

(15)अधिनियम की धारा 50 के प्रावधान शर्तों में अनिवार्य हैं और यह न्यायिक मिसालों द्वारा भी तय किया गया है, जिनमें से एक हाकम सिंह बनाम केंद्र शासित प्रदेश (1) में इस न्यायालय के फैसले द्वारा प्रदान किया गया है। यहां हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम सुदर्शन कुमार (2) मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जहां, यह माना गया था कि जिस व्यक्ति की तलाशी ली जानी है, उसे उसके बारे में सूचित किया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 50 के तहत मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेने का अधिकार है। यह माना गया कि इस प्रावधान का उल्लंघन अभियोजन मामले के लिए घातक होगा। इसके अलावा, यह देखा गया कि इस तरह की पेशकश, जहां तक व्यावहारिक हो, इलाके के दो स्वतंत्र और सम्मानित गवाहों की उपस्थिति में की जानी चाहिए और यदि नामित अधिकारी ऐसा करने में विफल रहता है, तो यह साबित करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष पर होगी किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर ऐसे गवाहों का संयोजन संभव नहीं था।

अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों से निपटने में, यह नहीं देखा जा सकता है कि, यदि पकड़े गए व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो यह उन्हें नकारात्मक बना देगा।

किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेने पर, केवल एक पुलिस अधिकारी के गंजे बयान पर खारिज किया जा सकता है कि उसने इस तरह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। जैसा कि सर्वविदित है, विधायिका हमेशा पुलिस को दिए गए बयानों को स्वीकार करने में कुछ हद तक सावधान रही है, जैसा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के प्रावधानों से स्पष्ट होगा, जिसके तहत एक आरोपी द्वारा पुलिस को दिए गए बयान जांच के दौरान, इसे अस्वीकार्य बना दिया जाता है और यदि ऐसा बयान एक स्वीकारोक्ति है, तो यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत भी आता है। इस प्रकार अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों को इस संदर्भ में समझा जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 50 द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा के अंतर्निहित स्पष्ट विधायी इरादे को अर्थ और सामग्री देने के लिए, ठोस और विश्वसनीय सबूत और न केवल एक पुलिस अधिकारी का बयान, यह स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर लाया जाना चाहिए कि जिस व्यक्ति की तलाशी ली जानी है उन्हें राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेने के उनके अधिकार के बारे में बताया गया, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने का फैसला किया। सुदर्शन कुमार के मामले) सुप्रा (में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह की पेशकश दो विश्वसनीय और स्वतंत्र गवाहों के सामने की जानी चाहिए, लेकिन सम्मान के साथ, यह उचित होगा और न्याय के हित के अनुरूप होगा कि एक नियम के रूप में सामान्य तौर पर, पकड़े गए व्यक्ति को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना चाहिए और उसकी उपस्थिति में तलाशी लेनी चाहिए। अधिनियम द्वारा निर्धारित कठोर न्यूनतम सज़ा स्पष्ट रूप से इस तरह के पाठ्यक्रम को अनिवार्य बना देती है। इसलिए, किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष अन्यथा तलाशी लेना एक अपवाद होना चाहिए और वह भी रिकॉर्ड पर उपलब्ध विश्वसनीय सामग्री के आधार पर ठोस और ठोस कारणों के लिए। यह दिखाने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर है कि जिस व्यक्ति की तलाशी ली जानी है उसने ऐसे विकल्प को अस्वीकार कर दिया है।

इस प्रकाश में देखा जाए तो, ईथर इस निष्कर्ष से बच नहीं सकता कि अपीलकर्ता-अमृत सिंह के मामले में, अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का उल्लंघन काफी बड़ा है। यह और अन्य परिस्थितियाँ, जैसा कि पहले बताया गया है, अपीलकर्ता की सजा को पूरी तरह से अस्थिर बनाती है और तदनुसार इसे रद्द किया जाता है। अपीलकर्ता, जो जमानत पर है, के जमानत बांड को खारिज किया जाता है और जुर्माना, यदि भुगतान किया जाता है, तो उसे वापस करने का आदेश दिया जाता है। फलस्वरूप यह अपील स्वीकार की जाती है।

अस्वीकरण स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग : के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मेंइसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

हरिकिशन
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
गुरुग्राम, हरियाणा